प्रेस नोट दिनांक 10.08.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही: पुलिस टीम पर हमला एवं बलवा करने के मामले में वांछित नामजद अभियुक्त प्रेम चन्द्र मौर्या गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.05.2026 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दमदम के पास ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से हुई दुर्घटना में एक लड़की की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली में तोड़फोड़ करते हुए उसमें आग लगाने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ द्वारा जान से मारने की नीयत से ईंट-पत्थर एवं लोहे की रॉड से हमला कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई तथा मारपीट एवं लूटपाट की गई। उक्त घटना के संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 178/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/132/121(2)/125/109(1)/310(2)/352/351(3)/324(4) भा0न्या0सं0 के तहत 07 नामजद अभियुक्तों एवं 30-40 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई। इसी क्रम में उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम दमदम स्थित अभियुक्त के घर पर दबिश देकर प्रेम चन्द्र मौर्या पुत्र रामआधार, उम्र करीब 61 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- प्रेम चन्द्र मौर्या पुत्र रामआधार, उम्र करीब 61 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेश कुमार यादव, का0 राजू गौड़, का0 दशरथ पटेल, रि0का0 प्रशान्त राय एवं रि0का0 पीयूष कुमार वर्मा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 32.21 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (स्मैक) बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 32.21 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (स्मैक) के साथ 01 अभियुक्त चन्दन सैनी को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत पृथ्वीगंज-रानीगंज बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त रा ज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दिनांक 10.08.2026 की रात्रि में चेकिंग/गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम राजापुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ स्थित पृथ्वीगंज-रानीगंज बॉर्डर के पास से 01 अभियुक्त चन्दन सैनी (माली) पुत्र स्व0 लालजी, निवासी ग्राम तोडरपट्टी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.08.2026 को उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह पुलिस बल के रात्रि गश्त एवं देखभाल क्षेत्र में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध नशीला पदार्थ (स्मैक) लेकर ग्राम राजापुर में सड़क के किनारे खड़ा है और उसे बेचने के लिए कहीं जाने की तैयारी में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पीछा कर कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया।

पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम चन्दन सैनी (माली) पुत्र स्व0 लालजी, निवासी ग्राम तोडरपट्टी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष बताया। नियमानुसार जामातलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से पन्नी में रखी 03 पुड़िया बरामद हुईं, जिनमें भूरा रंग का पदार्थ था, जो प्रथम दृष्टया स्मैक प्रतीत हुआ। उक्त पदार्थ को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौले जाने पर कुल वजन 32.21 ग्राम (पुड़िया सहित) पाया गया। अभियुक्त के कब्जे से ₹230 नगद भी बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
चन्दन सैनी पुत्र स्व0 लालजी, निवासी ग्राम तोडरपट्टी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
32.21 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (स्मैक), 03 पुड़िया में (पुड़िया सहित वजन)।
₹230 नगद।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 389/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव, का0 सौरभ यादव, रि0का0 जगन्नाथ, रि0का0 शेर बहादुर यादव, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: चोरी के 06 मोबाइल फोन, साइकिल व ₹280/- नगद के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना अन्तू पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 209/26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त किशन गौतम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे/निशानदेही से चोरी के 06 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद लाल रंग की हरकुलिस साइकिल एवं ₹280/- नगद बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना अन्तू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 आदित्य कुमार मय हमराह का0 अंकित कुमार, का0 भागीरथी एवं रि0का0 राजीव रंजन राय द्वारा देखभाल क्षेत्र, जाँच प्रार्थना पत्र एवं लंबित विवेचनाओं के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम पुरेवंशी जाने वाले तिराहे के पास

से 01 अभियुक्त किशन गौतम पुत्र सुरेन्द्र गौतम निवासी ओझला ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

जामा तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से ₹280/- नगद बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा चोरी किए गए मोबाइल फोन एवं साइकिल को पास की झाड़ियों में छिपाकर रखने की बात बताई गई। अभियुक्त की निशानदेही पर झाड़ियों से 01 अदद लाल रंग की हरकुलिस साइकिल एवं 06 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए।

बरामद मोबाइल फोन का विवरण-
iPhone-11, सफेद रंग।
Samsung, काला रंग।
Tecno, पीला रंग।
Redmi, काला रंग।
Narzo, आसमानी नीला रंग।
ACE, गाढ़ा नीला रंग की-पैड मोबाइल।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में उक्त अभियोग में बरामद चोरी के सामान एवं ₹280/- नगद के आधार पर थाना अन्तू पर पंजीकृत मु0अ0सं0 209/26 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. किशन गौतम पुत्र सुरेन्द्र गौतम निवासी ओझला ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी-
06 अदद चोरी के मोबाइल फोन।
01 अदद लाल रंग की हरकुलिस साइकिल।
₹280/- नगद।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 209/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 आदित्य कुमार, का0 अंकित कुमार, का0 भागीरथी एवं रि0का0 राजीव रंजन राय, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

चोरी के मोबाइल व अन्य सामान तथा 04 अदद जिन्दा देशी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा चोरी के 04 अदद एण्ड्राइड मोबाइल फोन, एक अदद पर्स, एक अदद आधार कार्ड व ₹500/- तथा 04 अदद जिन्दा देशी बम बरामद करते हुए 01 अभियुक्त शैलेन्द्र सोनकर को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया-कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री प्रकाश वीर सिंह, का0 भीमराव, का0 रामदेव गौतम व म0का0 पिंकी यादव द्वारा श्रावण मास/कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित/वारण्टी/इनामियां अपराधी एवं देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत रहमत अली के पुरवा

से शाहाबाद घाट जाने वाली सड़क के मध्य मुर्गी फार्म वाले कच्चे रास्ते के पास से 01 अभियुक्त शैलेन्द्र सोनकर पुत्र इन्द्रजीत सोनकर निवासी मनिहारी टोला थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद जिन्दा देशी नाजायज बम, 04 अदद एण्ड्राइड मोबाइल फोन, एक अदद काला पर्स, एक अदद आधार कार्ड तथा ₹500/- बरामद हुए। बरामद 04 अदद जिन्दा देशी बम को पुलिस टीम द्वारा सावधानीपूर्वक पानी में डुबोकर निष्क्रिय किया गया।

पूछताछ का विवरण -
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह पिछले कई दिनों से शाहाबाद गंगा घाट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन व अन्य सामान चोरी करता था तथा चोरी किए गए सामान को बेचकर प्राप्त धनराशि से नशा करता था। बरामद मोबाइल फोन, पर्स, आधार कार्ड व ₹500/- में से एक मोबाइल फोन, पर्स, आधार कार्ड व धनराशि थाना मानिकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 188/26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित चोरी का माल पाया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 188/26 धारा 303(2) बीएनएस में नाम प्रकाश में लाते हुए बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद 04 अदद जिन्दा देशी नाजायज बम के संबंध में थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 196/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया है। बरामद अन्य 03 अदद मोबाइल फोन के संबंध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. शैलेन्द्र सोनकर पुत्र इन्द्रजीत सोनकर निवासी मनिहारी टोला थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
1. 04 अदद जिन्दा देशी नाजायज बम।
2. 04 अदद एण्ड्राइड मोबाइल फोन।
3. एक अदद काला रंग का पर्स।
4. एक अदद आधार कार्ड।
5. ₹500/- नगद।

पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0 188/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 196/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह, उ0नि0 श्री प्रकाश वीर सिंह, का0 भीमराव, का0 रामदेव गौतम व म0का0 पिंकी यादव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: 04 अदद जिंदा देसी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 04 अदद जिंदा अवैध देसी बम के साथ 01 अभियुक्त आमिर को इब्राहिपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त आमिर के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज में चोरी एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में व0उ0नि0 राजनरायण सिंह मय हमराह उ0नि0 अकील अहमद व रि0का0 रजनीश प्रजापति व रि0का0 शुभम यादव मय चालक का0 दुरवीन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था ड्यूटी, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर इब्राहिपुर के पास से 01 अभियुक्त आमिर पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम मुरस्सापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को 04 अदद जिंदा अवैध देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के संबंध में थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 126/2026 धारा- 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. आमिर पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम मुरस्सापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 21/2023 धारा 379, 411 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 126/2026 धारा- 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
1- अवैध 04 अदद जिंदा अवैध देसी बम।

पुलिस टीम का विवरण-
व0उ0नि0 राजनरायण सिंह मय हमराह उ0नि0 अकील अहमद व रि0का0 रजनीश प्रजापति व रि0का0 शुभम यादव मय चालक का0 दुरवीन यादव, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में देखभाल/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान माननीय न्यायालय जे0एम0 महोदय लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-
नोखेलाल पुत्र रामसुफल सरोज निवासी ग्राम मुबारकपुर मजरे राजापुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त नोखेलाल उपरोक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय जे0एम0 महोदय लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा फौजदारी वाद संख्या 800/20, अ0सं0 62/18, धारा 60 आबकारी अधिनियम के संबंध में गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। थाना उदयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर एवं संभावित स्थानों पर दबिश देकर उसे उसके घर के दरवाजे से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

2. लालचन्द्र यादव पुत्र रामजस यादव उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी ग्राम समगढा मजरे मंगापुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त लालचन्द्र यादव उपरोक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय जे0एम0 महोदय लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा फौजदारी वाद संख्या 654/26, अ0सं0 91/14, धारा 323/504/506/325 भादवि के संबंध में गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। थाना

उदयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर एवं संभावित स्थानों पर दबिश देकर उसे उसके घर के दरवाजे से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम- उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह का0 आदित्य विश्वकर्मा, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराह का0 उपेन्द्र कन्नौजिया, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी के दौरान माननीय न्यायालय ACJM 13 महोदय प्रतापगढ़ द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट मु0नं0 1702349/2008 राज्य सरकार बनाम उमाशंकर पासी, अ0सं0 65/2001 थाना रानीगंज से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त उमाशंकर पासी पुत्र ननही पासी उर्फ राम राज सरोज निवासी ग्राम धनुहाँ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
उमाशंकर पासी पुत्र ननही पासी उर्फ राम राज सरोज निवासी ग्राम धनुहाँ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह रि0का0 रंजीत कुमार व रि0का0 रंजीत सोनकर, थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।